भारत

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी	:::	मांगेराम पूनियां, R.T.S.
मिसल नं.	:::	200 / 2021
सरकार	बनाम	सीताराम, सुभाष पि. महादेव, जाति–माली, निवासी– सूरजगढ़

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 19.01.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान स्वयं अनुपस्थित। गैर सायलान की ओर से पुत्र व भतीजा सुनील उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान सीताराम, सुभाष पि. महादेव, जाति–माली, नि. सूरजगढ़ के विरूद्ध राजस्व ग्राम सूरजगढ़ की मन्दिर मूर्ति की भूमि जिसकी खातेदारी मंदिर गोपीनाथजी वाके देह के नाम दर्ज है, के ख.नं. 37 रकबा 1.45 है0 किस्म बारानी–I में से 1.45 है0 सम्पूर्ण भूमि पर फसल बाजरा काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान की ओर से पुत्र व भतीजे सुनील ने हाजिर होकर जवाब नोटिस पेश किया कि जिसमें भूमि गैर सायलान के पिता द्वारा क्रय कर 60 वर्षों से कब्जा काश्त होना जाहिर किया है, जबकि मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने के कारण मन्दिर मूर्ति की खातेदारी भूमि का बेचान नही हो सकता है। अतः गैर सायलान की ओर से प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नही माना जा सकता। चूंकि भूमि की खातेदारी मन्दिर मूति के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 3 (2) राज–6 / 2007 / पार्ट–5 जयपुर, दिनांक 12.09.2018 के द्वारा निर्देश जारी किये गये है कि "मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति में पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्ध करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्ति मंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण की रिपोर्ट सिवायचक / चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तद्नुसार प्रभावी निस्तारण करेंगे।" अतः उक्त परिपत्र के अनुसरण में प्रश्नगत मंदिर मूर्ति की भूमि पर भी राजकीय भूमि की तरह राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के प्रावधान लागू होंगे। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 435 रू. कायम किया जाता है। मन्दिर मूर्ति की भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत् गिरदावर हल्का को लिखा जावें।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 46
वर्ष 2021-22 में रुपये 435/- कायम कि
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़